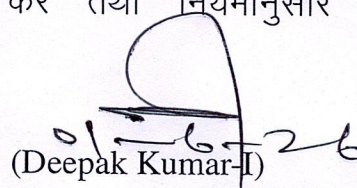


**DISTRICT AND SESSIONS JUDGE DIVISION
IN THE COURT OF DEEPAK KUMAR-I
Addl. District and Sessions judge-II cum special judge
Vigilance.**

SPL. VIGILANCE CASE NO- 34/2007

01-06-2026

वाद के एक मात्र अभियुक्त आनंद कुमार राम अनुपस्थित है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 10.05.2024 को बंधपत्र खंडित होने के पश्चात अभियुक्त के उपस्थिति हेतु NBW, धारा 82 द0प्र0स0 तथा 83 द0प्र0स0 प्रोसेस जारी किया जा चुका है। दिनांक 18.05.2026 को लोक अभियोजक निगरानी को निर्देश दिया गया कि U/S -299 crpc के अंतर्गत साक्ष्य पुस्तुत करे। परन्तु लोक अभियोजन निगरानी अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य कराना नहीं चाहते हैं। लोक अभियोजक निगरानी के निवेदन पर U/S -299 crpc के अंतर्गत साक्ष्य बंद किया जाता है तथा अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध स्थाई अधिपत्र (Permanent Warrant) जारी करे तथा नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


(Deepak Kumar-I)

Spl. Vigilance Judge (Trap)

Bhagalpur.

*Permanent warrant
issued*

*DB No. - 447
03/06/26*